१रु. कोर्ट फी COURT भारत एक रुपए | २रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES | २रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

47

6-78

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर मध्य प्रदेश।

प्र०क्र० :- - -।२६-१७। पुनर्विलोकन। २०१६ Rev-4134-PBR/16

१- सत्यमान सिंह पुत्र स्व० श्री मुन्शीसिंह

२- श्रीमती मिथलेश पत्नी श्री वकील सिंह एवं पुत्री स्व० श्री मुन्शीसिंह जाति गुजर। निवासीगण ग्राम गिरगाव त०० व जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश। हाल निवास गोसपुरा हजीरा जिला ग्वालियर(म०प्र०)।

-- आवेदकगण

रणवीर सिंह, अधि०
द्वारा आज दि० 5-12-16 को
प्रस्तुत
5-12-16

अधि. बी.R
रणवीर सिंह
087

बनाम

१- श्रीमती पैमा गुजेर पत्नी श्री भीकमसिंह,

२- श्रीमती शीला गुजेर पत्नी श्री केशवसिंह,

३- श्रीमती पुष्पा गुजेर पत्नी श्री नरेन्द्रसिंहगुजेर

४- सीताराम पुत्र श्री पीतमसिंह समस्त निवासीगण ग्राम गिरगाव तहसील व जिला ग्वा० मध्य प्रदेश।

-- अनावेदकगण

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र धारा ५१ अन्तर्गत म०प्र०भू० राजसंहिता १९५९ विरुद्ध पारित श्रीमान न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर द्वारा प्र०क्र० ३५५। २०१६। निगरानी (पीबीआर) अन्तिम आदेश दिनांक ६-१०-२०१६ से व्यथीत होकर की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 4134–पीबीआर/2016 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–1–17	आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3285–पीबीआर/2016 में पारित आदेश दिनांक 6–10–2016 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रिव्यु आवेदन पर विचार किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । अध्यक्ष	